	प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में पेश। खण्डपीठ कमांक 37 आर.सी.टी.69 / 2020 शासन बनाम सुनिल	
09.03.2024	राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित। अभियुक्तगण सहित श्री एम.एस. कन्नौज अधिवक्ता उपस्थित।	

प्रकरण, राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

फरियादी/आहत ममताबाई ने अभियुक्तगण से राजीनामा करने के संबंध में राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा 320 (1) व (2) प्रस्तुत किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि, अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 294, 323/34 व 506 भाग-2 का आरोप है, जो शमनीय योग्य धाराएं है।

आहत ममतावाई से पूछे जाने पर उसके द्वारा व्यक्त किया गया कि, वह स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी भय या लालच के राजीनामा कर रहे हैं। उसके एवं अभियुक्तगण के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो गये हैं। अभियुक्तगण से अब उसका कोई वाद विवाद नहीं है। अतः अब अभियुक्तगण के विरूद्ध वह प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। अभियुक्तगण से पूछने पर उनके द्वारा भी बिना किसी भय, दबाव व प्रलोभन के राजीनामा करना स्वीकार किया गया। इस प्रकार उभयपक्ष द्वारा दी गई सहमति के आधार पर राजीनामा वैधानिक भी है। आवेदन अस्वीकार करने का अन्य कोई कारण भी नहीं है।

अतः विचार उपरांत आवेदन स्वीकार करते हुये आहत को अपराध का शमन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार राजीनामा के आधार पर **अभियुक्तगण सुनिल व राकेश** को भा.दं.सं. की धारा 294, 323/34 व 506 भाग-2 के आरोप से **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नही।

प्रकरण का परिणाम केन्द्रीय पंजी एवं सी.

Date of Order or Proceeding

राकेश

सुनि

ममता

Order Sheet [Contd.]

Case No. R.C.T. 69/90 of 20

Date of Order or Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आई.एस में दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार कुक्षी जिला धार म.प्र. को भेजा जावे। **अधिवक्ता सदस्य** (श्री जमील मंसुरी) अधिवक्ता सदस्य **पीठासीन अधिकारी** (सुश्री अर्चना मर्सकोले) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/ पीठासीन अधिकारी लोक अदालत खण्डपीठ कमांकः—37 कुक्षी जिला धार म0प्र0	